फाइल सं0 6/10/एनसीएससी/2010-समन्वय प्रको-ठ

भारत सरकार

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

(भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत स्थापित एक सांविधिक निकाय)

पांचवीं मंजिल, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दिनांक 30 दिसम्बर, 2010

वि-यः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की दिनांक 13-12-2010 को आयोजित तीसरी बैठक का कार्यवृत्त ।

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की **दिनांक 13-12-2010 को** 3.00 **बजे अपराह्न** आयोजित तीसरी बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सूचनार्थ अग्रेषित की जाती है ।

यह अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

(एस.एन. मीणा)
अवर सचिव(प्रशा.)

1. डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष
2. श्री राज कुमार वेरका, उपाध्यक्ष
3. श्री एम. शिवाना, सदस्य
4. श्री राजू परमार, सदस्य
5. श्रीमती लता प्रियाकुमार, सदस्य

संयुक्त सचिव के निजी सचिव

निम्नलिखित अधिकारियों को कार्यवृत्त की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि वे बैठक में लिए गए निर्णयों पर 3 दिन के भीतर कार्रवाई करें :-

1. डॉ. वी.के. राठी, निदेशक (प्रशा. एवं एपीसीआर)
2. श्री ध्रुव कुमार, निदेशक(ईएसडीडब्ल्यू)
3. श्री एस. केसवा अय्यर, उप सचिव (एसएसडब्ल्यू)
4. श्री एस.एन. मीणा, अवर सचिव (प्रशा.)
5. श्री लोखन मरन्डी, अवर सचिव (एपीसीआर)
6. श्री कौशल कुमार, उप निदेशक(ईएसडीडब्ल्यू)

(एस.एन. मीणा)
अवर सचिव(प्रशा.)

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की तीसरी बैठक डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष की अध्यक्षता में **दिनांक़ 13-12-2010 को** 3.00 **बजे अपराह्न** आयोग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई थी । प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध–।** पर है ।

2. प्रारम्भ में, संयुक्त सचिव ने माननीय अध्यक्ष और सदस्यों का स्वागत किया । उसके बाद निम्नानुसार कार्यवाही आरम्भ की गई:-

आयोग ने कार्यसूची की निम्नलिखित मदों पर विचार-विमर्श किया:-

कार्यसूची की मद संख्या 1: **दिनांक** 06–12–2010 **को आयोजित आयोग की दूसरी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।**

आयोग ने दिनांक 06-12-2010 को आयोजित आयोग की दूसरी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की ।

कार्यसूची की मद संख्या 2: **दिनांक** 06–12–2010 **को आयोजित आयोग की दूसरी बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई ।**

दिनांक 06-12-2010 को आयोजित आयोग की दूसरी बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई को आयोग द्वारा नोट और अनुमोदित किया गया ।

कार्यसूची की मद संख्या 3: **आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के उप–श्रेणीकरण के संबंध में न्यायमूर्ति ऊ षा मेहरा समिति रिपोर्ट की सिफारिशें ।**

मामले पर दिनांक 21-10-2008 को आयोजित पिछले (द्वितीय) आयोग की 16वीं बैठक में विचार किया गया था और आयोग ने अखिल भारतीय बाल्मीकि महासभा बनाम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राजस्थान राज्य, डी.बी. सिविल रिट याचिका(पीआईएल) संख्या 11152/2008 के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए निम्नानुसार सिफारिश की:-

"राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अधिकारिक तथ्यों की जांच करने के बाद यह मत था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) एक समर्थकारी प्रावधान है जो नियुक्तियों में आरक्षण देने के लिए राज्य को अधिकार देता है और यदि राज्य आरक्षण का प्रावधान करता है तो वह यह भी निर्णय कर लेता है कि किस अनुपात में आरक्षण दिया जाना है । यह विवादास्पद नहीं है कि राष्ट्रपति के आदेश में ऐसे

आरक्षण का प्रावधान करते हुए विभिन्न जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल किया गया है जिसे आन्ध्र प्रदेश राज्य द्वारा भी स्वीकार किया गया है । अत: आयोग सिफारिश करता है कि आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार संविधान के उपर्युक्त अनुच्छेद के प्रावधानों को ग्रहण करे और संविधान के उपर्युक्त प्रावधानों तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार आन्ध्र प्रदेश सरकार को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि राष्ट्रपति के आदेश के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश की शैक्षिक और सामाजिक रूप से अत्यन्त पिछड़ी सूचीबद्ध जातियों अर्थात् 'मेडीगा और रेल्ली एवं आदि-आन्ध्र' को आन्ध्र प्रदेश राज्य में ही आरक्षण में अनुपातिक हिस्सा दिया जाए ।"

आयोग ने आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के श्रेणीकरण के मुद्दे पर विचार किया । यह पाया गया कि श्री ई.वी. चिन्नइया ने आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ भारत के उच्चतम न्यायालय में एक अपील दायर की थी जिसमें आन्ध्र प्रदेश अनुसूचित जाति (आरक्षण की युक्तिकरण) अधिनियम, 2000 को बनाये रखा गया था । भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 05-11-2004 के निर्णय में मुख्य रूप से निम्नलिखित 2 आधारों पर आन्ध्र प्रदेश अनुसूचित जाति (आरक्षण की युक्तिकरण) अधिनियम, 2000 को रद्द कर दिया:-

(i) अनुसूचित जातियों को आरक्षण का जातियों के उप-समूहों में संविभाजन राज्य विधान मंडल द्वारा नहीं किया जा सकता, केवल संसद ही ऐसा करने में सक्षम है ।

(ii) संसद के पास भी ऐसा करने की शक्ति नहीं है क्योंकि संविधान में यह अभिप्रेत है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का व्यक्तिगत सजातीय अस्तित्व है ।

उपर्युक्त के मद्देनज़र आयोग ने मुद्दे पर विस्तार से विचार-विमर्श करने के बाद सिफारिश की कि अनुसूचित जाति के क, ख, ग और घ श्रेणियों में उप-श्रेणीकरण के संबंध में न्यायमूर्ति ऊषा मेहरा आयोग की सिफारिश स्वीकार्य नहीं है ।

आयोग ने यह भी सिफारिश की कि उन्हें समूहों में बांटने के बजाय राज्य सरकार को उपयुक्त तंत्र कायम करने के कदम उठाने चाहिएं जिससे कि गरीब से गरीब/अनुसूचित जातियों अर्थात् सफाई कर्मचारियों को नि:शुल्क शिक्षा, प्रत्येक जिले में आवासीय विद्यालय, प्रत्येक जिले में कॉलेज के छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रावास, स्व-वित्त पोषित पाठ्यक्रमों और कॉलेज शुल्क की प्रतिपूर्ति, स्वामित्व सहित सफाई कर्मचारियों के लिए शत-प्रतिशत आवासीय कालोनी, संघ लोक सेवा आयोग के लिए उनके बच्चों हेतु कोचिंग केन्द्र, रेलवे, बैंकिंग और राज्य लोक सेवा आयोग, कामकाज़ी महिला हॉस्टल्स, सीए/आईसीडब्ल्यूए, लॉ, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग पायलट पाठ्यक्रमों, प्रत्येक भूमिहीन पूनर्वासित मैनुअल स्वच्छकारों के परिवारों को भूमि की खरीद तथा वितरण, पीएचसी के लिए सम्पूर्ण शुल्क की फाईनेन्सिंग जैसी योजनाओं के माध्यम से सशक्त किया जा सके । पिछले 31 वर्षों के अप्रयुक्त एससीपी का लाभकारी उपयोग करते हुए छात्रवृत्ति इत्यादि बढ़ाना । नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति जनसंख्या हेतु मानव अधिकार सुरक्षा सुनिश्चित करना । (**कार्रवाई: एसएसडब्ल्यू**)

कार्यसूची की मद संख्या 4: श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री गंगादास, पूर्व विशेष सहायक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, हापुड, निवासी 45, सर्वोदया कालोनी, हापुड़, उत्तर प्रदेश की अनिवार्य सेवानिवृत्ति एवं उत्पीड़न का मामला ।

आयोग ने श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री गंगा दास, पूर्व विशेष सहायक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मामले पर विचार किया और निर्णय लिया कि माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में दिनांक 27-12-2010 को 2.30 बजे अपराह्न बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के साथ सुनवाई तय की जाए ।(**कार्रवाई: एसएसडब्ल्यू**)

कार्यसूची की मद संख्या 5: अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मद ।

माननीय अध्यक्ष की इच्छा थी कि निदेशकों/उप निदेशकों, राज्य कार्यालयों की एक बैठक आयोजित की जाए जिसमें उनके और आयोग के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा सकेगा । निदेशक/उप निदेशक की बैठक की कार्यसूची तैयार की जाए और बैठक की तारीख़ तथा समय तय करने से पहले उसे माननीय अध्यक्ष के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाए । (**कार्रवाई: समन्वय प्रकोष्ठ**)

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई ।

अनुबंध -I

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की दिनांक 13-12-2010 को अपराह्न 3.00 **बजे आयोग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित तीसरी बैठक ।**

उपस्थित सदस्य एवं अधिकारी

क्र.सं. ***नाम एवं पदनाम***

1. डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष
2. श्री राज कुमार वेरका, उपाध्यक्ष
3. श्री राजू परमार, सदस्य
4. श्री एम. शिवाना, सदस्य
5. श्रीमती लता प्रियाकुमार, सदस्य

श्री टी. तीथन, संयुक्त सचिव

अधिकारी

1. डॉ. वी.के. राठी, निदेशक
2. श्री एस. केसवा अय्यर, उप सचिव
3. श्री एस.एन. मीणा, अवर सचिव
4. श्री कौशल कुमार, उप निदेशक